(ग) चूंकि प्रस्ताव नहीं मिला है; इसलिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ।

मध्य प्रदेश में गेहूं की आवश्यकता

6018. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में वर्ष 1994 के लिये गेहूं की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिये मध्य प्रदेश को प्रतिमाह 41,000 मीटरी टन की दर से गेहूं का आंबन्टन किया जा रहा है । गेहूं का आबटन केन्द्रीय पूल से प्रतिमाह किया जाता है । इसमें भण्डार में उपलब्ध स्टाक, मौसम-मौसम में उपलब्धता, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की मांग और माल को उठाने की उनकी स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। केन्द्रीय सरकार से किया जाने वाला आंबटन पूरक किस्म का होता है। इसका उद्देश्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, की पूरा आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं है । मध्य प्रदेश द्वारा खाद्यान्न — गेहूं और चावल, को आबंटित मात्रा से कम मात्रा में माल उठाया गया है।

Plan for Boosting Fodder Production

6019. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of AGRIULTURE be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh has submitted any comprehensive agricultural plan to the Central Government for boosting up fodder production in the State;

(b) if so, the total plan-wise amount sought under the above plan district-wise;

(c) whether the Central Government have sanctioned the amount sought for the purpose; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes Sir. (b) and (c) The State Govt. of Madhya Pradesh has submitted proposal for sanction of Rs. 40 lakhs (Central Share) during 1992-93 for strengthening of their five fodder farms located at Deval (Distt. Sagar) Sakari (Distt. Bilaspur) Balaghat (Distt. Balaghat) Aron (Distt. Gwalior) and Saraswati (Distt. Jabalpur). Accordingly, they were sanctioned Rs. 40 lakhs for strengthening of these 5 farms during 1992-93. Since they could not utilise the funds for this sanction, they submitted a proposal for revalidation during 1993-94 alongwith a request for change of site for 2 farms viz. Bastar and Anjora (Durg) in place of Deval and Aron. But the State Govt. could only provide matching share for one farm that is for Aron (Gwalior) and accordingly revalidation sanction for Rs. 8 lakhs was issued for strengthening of this farm during 1993-94. Revalidation of sanction for other farms will be issued on receipt of the proposal alongwith the confirmation for availability of matching funds during 1994-95.

(d) Does not arise.